न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मनमोहन मीना (आर.ए.एस.)

वाद संख्या:– 99/2019

विनोद कुमार पुत्र श्री गोपीराम जाति जाट उम्र 31 वर्ष निवासी 10 एलएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

––– वादी

बनाम

1. गोपीराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट उम्र 65 वर्ष निवासी 10 एलएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. श्रीमती विमला देवी पत्नी गोपीराम जाति जाट उम्र 62 वर्ष निवासी 10 एलएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–––––प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट.
बर बिनाय साक्ष्य हर किस्म

दिनांक : 09/09/2019

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि चक 10 एलएम–बी का मु0नं0 31 पत्थर नं0 285/485 का किला नं0 1ता15 सालम व 20/1 का 0.152 हैक्टर कुल 3.947 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी, चक 11 एलएम तहसील अनूपगढ़ का मु0नं0 60 पत्थर नं0 221/36 के किला नं0 11/1 का 0.228 हैक्टर, 12ता19 प्रत्येक सालम, 20/1 का 0.228 हैक्टर, 21/1 का 0.227 हैक्टर, 22ता25 प्रत्येक सालम कुल 3.719 हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी एंव चक 2 एनडब्ल्यूएम तहसील अनूपगढ़ का मु0नं0 23 पत्थर नं0 201/17 के किला नं0 1/2 का 0.228 हैक्टर, 2ता9 प्रत्येक सालम, 10/2 का 0.228 हैक्टर, 11/2 का 0.228 हैक्टर, 12 का 0.253 हैक्टर कुल 2.961 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 01 वादी का पिता है व प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता यानि प्रतिवादी संख्या 01 की धर्मपत्नी है। वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1व2 संयुक्त अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा उक्त विवादित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू खानदान की अविभाजित एंव पारिवारिक सम्पति है जो कि सहदायिक है। जिसमें वादी का जन्म से ही हि[illegible] विवादित कृषि भूमि का सहदायी है। वादी के दादा रामप्रताप पुत्र राजूर[illegible] स[illegible]राम पुत्र राजूराम के नाम से संयुक्त रूप से उक्त कृषि भू[illegible] दादा रामप्रताप के देहान्त के उपरान्त उक्त कृषि भूमि में से उनके [illegible] का हिस्सा की विवादित भूमि वादि के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त होकर [illegible]रास्तन इन्तकाल दर्ज हुआ। विवादित भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से दर्ज है। वादी का उक्त कृषि भूमि मे हित निहित है। इसलिए वादी को उक्त विवादित कृषि भूमि मे 1/3 हिस्सा का, प्रतिवदी संख्या 1 को 1/3 हिस्सा का एंव प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.12 12:04:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

र के तत्कालीन उपखण्ड अधि

दिनांक 18/09/20

के स्थान पर मेरा

उक्त अनवानी वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण 1व2 को ... किया गया। प्रतिवादी संख्या 1व2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश डाल ...स्थित आए।

उपरोक्त प्रकरण में पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो ...मिसल किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर प्रकरण का ...स्तारण करने का निवेदन किया। उपरोक्त राजीनामा अनुसार चक 10 एलएम–बी का मु0नं0 31 पत्थर नं0 285/485 का किला नं0 1ता15 सालम व 20/1 का 0.152 हैक्टर कुल 3.947 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त में है राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 02 के नाम से बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी जावे इसमें प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नही है ना ही प्रतिवादी संख्या 01 वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 के उक्त कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार की भविष्य में कोई दखलन्दाजी नही करेगा। चक 11 एलएम तहसील अनूपगढ़ का मु0नं0 60 पत्थर नं0 221/36 के किला नं0 11/1 का 0.228 हैक्टर, 12ता19 प्रत्येक सालम, 20/1 का 0.228 हैक्टर, 21/1 का 0.227 हैक्टर, 22ता25 प्रत्येक सालम कुल 3.719 हैक्टर अनकमाण्ड खातेदारी एंव चक 2 एनडब्ल्यूएम तहसील अनूपगढ़ का मु0नं0 23 पत्थर नं0 201/17 के किला नं0 1/2 का 0.228 हैक्टर, 2ता9 प्रत्येक सालम, 10/2 का 0.228 हैक्टर, 11/2 का 0.228 हैक्टर, 12 का 0.253 हैक्टर कुल 2.961 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहेगी जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 का ही कब्जा काश्त है जिसमें वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 का किसी प्रकार का भविष्य में कोई दखल नही होगा।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मेरे द्वारा मनन किया गया। पक्षकारान द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वाद वादी राजीनामा के आधार पर निर्णित करने का निवेदन किया। अतः उपरोक्त प्रकरण राजीनामा के आधार पर वाद वादी बहक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1ता2 निर्णित व डिक्री फरमाया जावे तो प्रतिवादीगण संख्या 1ता2 को कोई उज्र व एतराज नही है। पत्रावली में आये उपरोक्त अभिवचनों एंवम् राजीनामा की रूह से वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा।

::आदेश::

अतः पक्षकरान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त राजीनामा अनुसार चक 10 एलएम–बी का मु0नं0 31 पत्थर नं0 285/485 का किला नं0 1ता15 सालम व 20/1 का 0.152 हैक्टर कुल 3.947 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी [illegible] को बाहिस्सा बराबर खातेदार घोषित किया जाता है। राजीनामा डिक्री का [illegible] तदनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का नाम राजस्व रिकार्ड [illegible] आदेश प्रतिवादी संख्या 03 तहसीलदार अनूपगढ़ को दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .... को खुले ईजलास सुनाया गया।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.12 12:04:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner